बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 347449 पटना, दिनांक:- 10/01/18

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(2016-17 कार्य योजना)-102-41/2016

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय:- **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन में सम्बद्ध कार्मिकों एवं योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में लाभान्वित कराये जाने वाले लाभार्थियों को योजना से संबंधित जानकारी से अवगत कराने हेतु कार्यशाला का आयोजन करने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका के अलावे समय-समय पर विडियो कान्फ्रेंसिंग एवं पत्रों के माध्यम से विस्तृत दिशा-निर्देश दिये जाते रहे हैं इसके अतिरिक्त योजनान्तर्गत आवासों को पूर्ण कराने के लिए लक्ष्य का निर्धारण भी अलग से किया गया है । इस प्रसंग में यह स्पष्ट करना है कि जहाँ प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों का विशेष दायित्व ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं का सफल कार्यान्वयन कराना है वहीं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षकों एवं ग्रामीण आवास सहायकों के नियोजन का विशेष उद्देश्य ही लाभुकों को गांव में ही योजना एवं आवास निर्माण की जानकारी देकर उन्हें सहयोग करना है और इसी क्रम में ग्रामीण आवास सहायकों को पंचायत स्तर पर रखा गया है ।

उपर्युक्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए योजना में शत् प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने के लिए योजना से सम्बद्ध कार्मिकों एवं लाभार्थियों का प्रखण्ड स्तर पर कार्यशाला का आयोजन कर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का कार्यान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराने का निर्णय लिया गया है । कार्यशाला आयोजन संबंधी निम्नांकित कार्रवाई की जायेगी :-

(1) प्रथम चरण में प्रत्येक प्रखण्ड में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा जिसमें योजना से सम्बद्ध कार्मिकों यथा- ग्रामीण आवास सहायकों, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षकों, लेखा सहायकों (ग्रामीण आवास) एवं कार्यपालक सहायकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी ।

(2) दूसरे चरण में प्रत्येक प्रखण्ड स्तर पर लाभार्थियों का एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा जिसमें वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लाभार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी । लाभार्थियों की संख्या एवं कार्यशाला स्थल को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तिथियों में कार्यशाला का आयोजन किया जा सकता है ।

(3) कार्यशाला आयोजन के लिए प्रखण्ड स्तर पर छतदार सामुदायिक भवन अथवा अन्य कोई सरकारी भवन जो कार्यशाला आयोजन के लिए उपयुक्त हो, को चिन्हित किया जा सकता है ।

(4) कार्यशाला के सहभागियों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था के साथ ही पेय जल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ।

(5) कार्यशाला में निम्नांकित जानकारी दी जायेगी :-

क. लाभार्थी चयन की प्रक्रिया,

ख. लक्ष्य के अनुरूप चयनित लाभुकों के आवास एवं आवासीय भूमि का Geo Tagging, बैंक खाता, आधार कार्ड, मोबाईल नंबर एवं भूमि का कागजात प्राप्त करने तथा मनरेगा जॉब कार्ड बनाने की प्रक्रिया,

ग. आवास की स्वीकृति की प्रक्रिया,

घ. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अभिसरण से शौचालय निर्माण हेतु लाभुकों को सहायता राशि भुगतान की प्रक्रिया,

ङ. आवास एवं शौचालय निर्माण हेतु मनरेगा से मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया,

च. विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये Housing Design एवं प्राक्कलन की जानकारी,

छ. सौभाग्य योजना से विद्युत संयोजन कराने की जानकारी,

ज. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत एल0पी0जी0 कनेक्सन की जानकारी,

झ. सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीच्यूट, रूरकी (उतराखण्ड) द्वारा विकसित "सोलर कूकर" अधिष्ठापित कराने की जानकारी ।

(6) कार्यशाला में बैंक खाता, आधार कार्ड, फोटो, जॉब कार्ड आदि बनाने की व्यवस्था की जायेगी, ताकि आवश्यकतानुसार लाभुकों का कार्यशाला स्थल पर ही यह कार्य भी सुनिश्चित हो सके ।

(7) कार्यशाला में प्रखण्ड स्तरीय मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कार्यान्वयन के लिए प्रखण्ड स्तर पर अधिकृत कार्मिक, बैंककर्मी, आधार कार्ड बनाने से संबंधित कर्मी, विद्युत विभाग के कर्मी आदि की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जायेगी, ताकि लाभुकों को संबंधित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की विस्तृत जानकारी हो सके ।

(8) कार्यशाला की तिथि निर्धारित कर ग्रामीण आवास सहायकों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के पात्र लाभुकों को कम-से-कम एक सप्ताह पूर्व सूचित किया जायेगा ताकि वे अपनी रोजमर्रा के कार्यों को देखते हुए इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में अपने बहुमूल्य समय की सहभागिता कर सकें ।

(9) एक अलग काउन्टर बनाकर कार्यशाला में भाग लेने वाले लाभार्थी की उपस्थिति दर्ज करायी जायेगी ।

(10) कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रत्येक लाभार्थी को भोजनादि पर व्यय के लिए 100 (एक सौ) रूपये एवं आवागमन पर व्यय के लिए 100 (एक सौ) रूपये अर्थात कुल 200 (दो सौ) रूपये का भुगतान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रशासनिक मद की राशि से वहन किया जायेगा और इसका भुगतान रजिस्टर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित एवं संधारित किया जायेगा ।

(11) कार्यशाला पर होने वाले व्यय का वहन जिलान्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रशासनिक मद में उपलब्ध निधि से किया जायेगा । यदि किसी जिला में अतिरिक्त निधि की आवश्यकता हो तो इसके लिए विभाग से अधियाचना की जायेगी ।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रक्रिया के तहत 10 फरवरी 2018 तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन से सम्बद्ध कार्मिकों एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लाभार्थियों के कार्यशाला आयोजन की कार्रवाई सम्पन्न करायी जाय ताकि चालू वित्तीय वर्ष में उक्त दोनों वर्ष के लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों को सहायता राशि उपलब्ध कराकर आवासों को पूर्ण कराते हुए आवास की समस्या का समाधान संभव हो सके ।

विश्वासभाजन

9/1/2018

(अरविन्द कुमार चौधरी)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 347449 पटना, दिनांक 10/01/18

प्रतिलिपि- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

9/1/2018

सरकार के सचिव